

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 सितम्बर 2021—भाद्र 11, शक 1943

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2021

शुद्धिपत्र

क्र. एफ 1-35-2014-बयालीस-(1).—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2021 के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 के संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी की गई है, उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-4 में पोलिटेक्निक के स्थान पर अभियांत्रिकी पढ़ा जाये एवं अंग्रेजी अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-4 में Polytechnic के स्थान पर Engineering पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.